29.01.2025 पत्रावली पेश। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब पेश नहीं। पेश करने हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी 01 का जवाब बन्द किया जाता है। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी के दादा है, प्रार्थी के पिता सुखराम की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी नाबालिग होने से वर्तमान में माता अनितादेवी के साथ परवरीश पाता है। अप्रार्थी भीमाराम अपने पौत्र का संरक्षण नहीं करता है। सरहद मौजा डडवा के खेत खसरा संख्या 421 रकबा 1.02 है०, खसरा संख्या 699 रकबा 0.46 है०, खसरा संख्या 700 रकबा 0.01 है०, तथा ग्राम डडवा के खसरा संख्या 1101/699 रकबा 0.04 हेक्टर। जिसमें प्रार्थी के पिता स्व. सुखराम का अपने पिता भीमाराम के हिस्से में 1/2 हिस्सा यानि वारिसतन भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा पुश्तैनी जन्मसिद्ध हक हकूको का आया हुआ है। मौके पर पुश्तैनी कब्जा भी प्रार्थीगण का स्थित है। मौके पर प्रार्थी की रहवासीय ढाणी भी स्थित है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवारा भी नहीं हुआ है। संयुक्त आराजी है, जिसमें प्रार्थी का कण-कण में पुश्तैनी, जन्मसिद्ध हक हिस्सा मौजूद है। प्रार्थीगण के दादा अप्रार्थी सं० 01 भीमाराम आदतन डोडा पोस्त, अफीम के नशेड़ी है तथा अप्रार्थी भीमाराम अपने नाबालिग पौत्र/पुत्रवधु के भरण-पोषण व संरक्षण का दायित्व नहीं निभाता है तथा डोडा व अफीम [illegible] के लम्बे समय से [illegible] आपूर्ति के लिए [illegible] वंचित करने [illegible] खड़े करने के आशय से [illegible] प्रार्थीगण की पुश्तैनी

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:07:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सम्पूर्ण भूमि को बेचान, रहन व तर्क कर प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ है जबकि अप्रार्थी अधिकारान को प्रार्थीगण की खुदकाश्तनी भूमि तथा पैतृक कब्जेकाश्त की भूमि को अपने हिस्से से ज्यादा बेचान, रहन, तर्क करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इस कारण यदि अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी को बेचान करने में सफल हो गया, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका आंकलन रुपयों-पैसों में किया जाना कतई सम्भव नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद अंतरिम कार्यवाही/निषेधाज्ञा से पाबंद करावे।

प्रत्युत्तर में अप्रार्थी 01 के अधिवक्ता ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए उक्त वादग्रस्त आराजी खुदकाश्तनी नहीं होने का कथन किया, तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाने का निवेदन किया।

मैंने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा खुदकाश्तनी सम्पत्ति बाबत कोई पर्याप्त व ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है, जिससे यह साबित हो कि उक्त वादग्रस्त आराजी आराजी प्रार्थीगण की पैतृक व खुदकाश्तनी आराजी है इस प्रकार पर्याप्त साक्ष्य सबूतों के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का सारहीन, अस्वीकार/ कारहीन व पोषणीय [illegible] नियमानुसार खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:07:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner